"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2009—पौष 4, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्रमांक 1395/1015/2009/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 23-11-2009 से 27-11-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 28 एवं 29-11-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्रमांक 2988/3143/2009/1-8/स्था.—श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 30-11-2009 से 8-12-2009 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29-11-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति तथा ब्लाक वर्ष 2006-2009 हेतु परिवार सहित आगाती (लक्ष्यदीप), जाने अवकाश यात्रा सुविधा उपभोग के साथ अवकाश अवधि नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.	सदस्य का नाम	उम्र	संबंध
1.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल	44 वर्ष	स्वयं
2.	श्रीमती वंदना अग्रवाल	40 वर्ष	पत्नी
3.	श्री प्रमांशु अग्रवाल	14 वर्ष	पुत्र
4.	कु. सारा अग्रवाल	09 वर्ष	पुत्री

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार अग्रवाल को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक 1412/956/2009/1-8/स्था.—श्री एच. पी. किण्डो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29-12-2009 से 9-1-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. किण्डो को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. किण्डो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्रमांक 1414/1003/2009/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 13-10-2009 से 24-10-2009 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1490/1042/2009/1-8/स्था.—श्री गिरीश कोल्हे, मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 5-12-2009 से 11-12-2009 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री गिरीश कोल्हे के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी. लकड़ा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कोल्हे को मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कोल्हे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1492/1018/2009/1-8/स्था.—श्री आर. सी. सूर्यवंशी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 16-11-2009 से 20-11-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. सूर्यवंशी को सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. सूर्यवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-16/2005/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-09-2005 द्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय (भा.रा.से.), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष के लिए ली गई थी. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-06-2008 द्वारा दो वर्ष (04-10-2007 से 03-10-2009) तक वृद्धि की गई थी उक्त अवधि दिनांक 03-10-2009 को समाप्त हो चुकी है. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष (दिनांक 03-10-2009 से 02-10-2010 तक) वृद्धि की जाती है.

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अपने ज्ञापन दिनांक 06-07-2009 में स्पष्ट किया गया है कि श्री पाण्डेय को प्रतिनियुक्ति की वर्णित अवधि दिनांक 03-10-2009 से 02-10-2010 तक प्रतिनियुक्ति भत्ते की पात्रता नहीं होगी. प्रतिनियुक्ति की शेष सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

3. श्री पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 358/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 26-08-2009 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1530/1021/2009/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 23-11-2009 से 17-12-2009 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1532/978/2009/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जनजाति विकास विभाग को दिनांक 7-12-2009 से 11-12-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जनजाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 23-11-2009 से 09-12-2009 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 21-12-2009 से 26-12-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19, 20, 27 एवं 28 दिसम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3 अवकाश काल श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/54/2004/1/2.—डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को दिनांक 05-11-2009 से 13-11-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. यादव आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल डॉ. यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग को दिनांक 26-12-2009 से 02-01-2010 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2009 एवं 03-01-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर इंग्लैंड (विदेश) की निजी प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/10/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छत्तीसगढ़ को गृह नगर हैदराबाद जाने हेतु दिनांक 16-11-2009 से दिनांक 27-11-2009 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 28 एवं 29 नवंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री बी. पी. राजभानू, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. को सौंपा जाता है.

3. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/10/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 26-11-2009 को संशोधित करते हुए श्री अविनाश मोहंती, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को हैदराबाद जाने के लिए दिनांक 07-12-2009 से दिनांक 17-12-2009 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका वर्तमान कार्यभार श्री बी. पी. राजभानू रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. को सौंपा जाता है.

3. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश मोहंती, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश मोहंती, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/68/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवन देव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को निम्नानुसार सपरिवार खण्ड वर्ष 2006-09 में भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 14-12-2009 से दिनांक 26-12-2009 तक कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12-13 एवं 27-28 दिसंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए अंडमान/पोर्ट ब्लेयर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की अनुमति प्रदान करता है :—

1. श्रीमती सजल (पत्नी) 2. चि. तेजस्व (पुत्र)

2. श्री पवन देव, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पवन देव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन देव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल को दिनांक 17-12-2009 से 20-12-2009 तक जलंधर में आयोजित कामन वेल्थ कुश्ती प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु दिनांक 16-12-2009 से दिनांक 22-12-2009 तक कुल 07 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-49/स्था./31/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. मान्धाता, मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर को (श्री माइकल फ्रांसिस प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर के सेवानिवृत्त दिनांक 30-11-2009 के फलस्वरूप) प्रभारी प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर स्थानापन्न रूप से अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

2. इनके वेतनादि का आहरण पूर्व प्राप्त वेतन अनुसार ही आहरित होगा.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-46/स्था./31/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक कारणों से श्री ए. के. खरे, प्रभारी मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर को (श्री जी. एम. शेख अभियंता परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर, सेवानिवृत्त दिनांक 30-11-2009 के फलस्वरूप) प्रभारी मुख्य अभियंता/परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर का चालू प्रभार सौंपा जाता है. श्री खरे अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ प्रभारी मुख्य अभियंता (प्रबोधन) का अतिरिक्त कार्य भी संपादित करेंगे.

2. श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता (रूपा.) प्रभारी मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्या. प्रमुख अभियंता, रायपुर के प्रभार से मुक्त होकर पूर्ववत अधीक्षण अभियंता (रूपा.) कार्या. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर कार्यरत रहेंगे.

3. श्री खरे के वेतनादि का आहरण मुख्य अभियंता/परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेन्टर रायपुर के रिक्त पद विरुद्ध पूर्व प्राप्त वेतन अनुसार ही आहरित होगा.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-47/स्था./31/2009.—श्री आर. एन. मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को छ. ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के तहत मुख्य अभियंता के पद पर, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा विभागीय पदोन्नति से पद पूर्ति होने तक, इसमें जो भी पहले हो, की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति

प्रदान की जाती है. श्री मिश्रा के वेतनादि का आहरण मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के पद से ही आहरित होगा. संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.

2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता) में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से तात्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे.

3. संविदा वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के अधिकतम (अधिकतम से 10 प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नहीं होगा.

4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राहत पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासकीय आवास गृह में रह रहे हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा,जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था.

6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन हेतु गोपनीय प्रतिवेदन लिया जावेगा.

7. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थाई कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.

8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी.

9. श्री आर. एन. मिश्रा पर छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होगा.

10. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 रायपुर दिनांक 19-7-2007 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 474/सा.प्र.वि./कक्ष-3 दिनांक 12-10-2009 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-48/स्था./31/2009.—श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर को छ. ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के तहत मुख्य अभियंता के पद पर मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा विभागीय पदोन्नति से पद पूर्ति होने तक, इसमें जो भी पहले हो, की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है. श्री श्रीवास्तव के वेतनादि का आहरण मुख्य अभियंता, महानदी मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर के पद से ही आहरित होगा. संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :—

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.

2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता) में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से तात्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे.

3. संविदा वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के अधिकतम (अधिकतम से 10 प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नहीं होगी.

4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राहत पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासकीय आवास गृह में रह रहे हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा,जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था.

6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन हेतु गोपनीय प्रतिवेदन लिया जावेगा.

7. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थाई कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.

8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी.

9. श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव पर छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होगा.

10. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 रायपुर दिनांक 19-7-2007 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 475/सा.प्र.वि./कक्ष-3 दिनांक 12-10-2009 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्रमांक/6069/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	हिमोड़ा	0.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	नहकसा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर एवं स्पील चैनल कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	रींवाबहार	44.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चिताखोल जलाशय बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2009

क्रमांक 13/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजम का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	समलपुरी	0.04	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी से पेण्ड्रीडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्रमांक 17/अ-82/09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सागर	5.72	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विंध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक/67/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गढ़सिवनी प. ह. नं. 2	0.22	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर (छ. ग.)	गढ़सिवनी परसाडीह मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक/68/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	परसाडीह प. ह. नं. 4	1.01	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर (छ. ग.)	गढ़सिवनी परसाडीह मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	आमागुड़ा प. ह. नं. 28	16.06	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मंगनपुर प. ह. नं. 28	96.07	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	चोकावाड़ा प. ह. नं. 27	16.53	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/4/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कस्तुरी प. ह. नं. 27	71.29	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/5/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	उपनपाल प. ह. नं. 25	8.79	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/6/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नगरनार प. ह. नं. 28	26.35	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	माड़पाल प. ह. नं. 24	63.79	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बीजापुट प. ह. नं. 25	19.86	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक/6308/भू-अर्जन/कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को, इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
577	0.41
227	0.24
570	0.02
230	0.02
220/1	0.21
231	0.03
224	0.01
223	0.01
226	0.01
228	0.12
225	0.05
219	0.01
218	0.05
217	0.08
98	0.07
97	0.02
215	0.23
243/2	0.10
100/2	0.40

(1)	(2)
285	0.13
298	0.42
297	0.10
104	0.07
295	0.10
375	0.08
380	0.13
378	0.30
105	0.10
103	0.08
101	0.10
99	0.33
216	0.01
योग	4.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक 1836/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-कुसीटिकुर, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

प्रकरण क्र. 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उड़ेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244/40	0.044
244/43	0.052

	(1)	(2)
	244/30	0.161
	244/57	0.165
	244/23	0.121
	244/55	0.052
योग	6	0.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उड़ेला जलाशय, स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

प्रकरण क्र. 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	01	0.028
	2/1	0.162
	2/2	0.121
	3/1	0.020
	3/2	0.020
योग	5	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहदा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
100/6	0.082
100/1	0.013
100/10	0.224
100/11	0.069

(1)	(2)
96	0.148
97/2	0.201
93	0.400
91/2	0.095
90/3	0.053
90/4	0.053
82/3	0.020
83/1	0.086
81/4	0.020
83/3	0.044
83/4	0.069
83/5	0.053
83/6	0.064
83/7	0.027
83/8	0.113
81/7	0.056
81/13	0.064
66	0.430
68	0.053
योग 23	2.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 05 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरचाटोला, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
50/1	0.079
1/4	0.180
3/1	0.145
3/5	0.053
(3/3, 4/1)	0.053
(3/2, 4/1)	0.053
(3/4, 4/3)	0.056
5/2	0.130
(3/6, 4/5), (3/7, 4/6), 5/10, 5/9	0.173
5/11	0.080
5/1	0.192
6/1	0.155
6/10	0.018
6/8	0.112
6/7	0.053
6/2	0.056
6/6	0.088
6/4	0.106
योग	1.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत पिरचाटोला माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.063
200	0.069
199/4	0.090
199/3	0.050
199/2	0.050
199/1	0.169
198	0.074
196/3	0.089
196/1	0.106
47	0.106
151	0.240
150/2	0.029
146/1	0.095
48/2	0.124
154/4	0.116
145/2, 3	0.058
145/4, 5	0.111
43/2	0.158
44/2	0.025
44/1	0.025
46/3	0.053
46/4	0.053
51/1	0.048
51/2	0.042
51/3	0.058
51/4	0.042
51/1	0.011
48/1	0.124
योग	2.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 08 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरजपुरा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/4	0.106
40/2	0.008
40/3	0.106
45/1	0.064
45/2	0.064
44	0.126
3	0.195
13	0.306
10/2	0.045
12/1	0.032
12/3	0.013
178/1, 3	0.042
179/1	0.063
179/2	0.047
180/1	0.038
181/2	0.056
181/5	0.056
181/1, 3	0.098
232	0.153
233/2	0.121
237/1	0.169
239/1	0.084
240/1	0.063
240/2	0.063
243	0.317
242/4	0.258
241/3	0.158
257/1	0.060
257/2	0.106
257/3	0.060
योग 30	3.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 09 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा, प.ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.099 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196/1	0.587
199	0.020
200	0.072
205	0.129
204/4	0.038
239/1	0.036
208/1	0.220
236/1	0.158
209/1	0.048
226/2	0.008
227	0.189
228	0.027
229/4	0.027
238	0.028
237/1	0.082
237/6	0.082
237/8	0.008
237/2	0.036
237/5	0.040
237/7	0.036
236/2	0.144
254/12	0.084
योग	2.099

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दूल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कटोरी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.977 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39	0.120
40/2	0.038
40/4	0.038
40/3	0.032
40/1	0.038
48/4	0.036
48/2	0.082
53/3	0.017
16/3	0.052
53/2	0.050
53/7	0.064
16/7	0.026

(1)	(2)
53/4	0.064
16/6	0.038
53/9	0.048
16/9	0.038
12/1	0.060
12/2	0.043
3/1	0.473
16/8	0.026
11/1	0.210
11/2	0.096
10	0.048
2/2	0.150
2/1	0.090
योग	1.977

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-खोलवा, प. ह. नं. 56

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237	0.136
238/1	0.050
238/4	0.050
222/4	0.024
238/2	0.040
222/2	0.048
239/5	0.065
239/4	0.051
239/3	0.051
239/2	0.051
239/1	0.051
264	0.091
214	0.070
266/1	0.300
235/7	0.017
235/5	0.012
235/10	0.012
235/11	0.012
235/4	0.012
235/2	0.012
235/1	0.008
235/3	0.012
234	0.110
233/1	0.253
233/2	0.012
242	0.184
215	0.140
243	0.040
246	0.081
245	0.008
247	0.081
219	0.080
250	0.120
254/1	0.036
226/2	0.051
222/5	0.043
222/3	0.043
223/2	0.040
223/1	0.068
224	0.100
योग 40	2.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 12 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.467 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	24	0.330
	25	0.110
	28	0.150
	29/1	0.116
	31/1	0.082
	31/2	0.057
	34	0.211
	35/6	0.040
	39	0.010
	38/1	0.080
	38/2	0.049
	40	0.070
	37/1	0.008
	37/2	0.077
	37/3	0.077
योग	15	1.467

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 13 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.122 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.093
50/21	0.032
50/10	0.032
50/1	0.024
50/18	0.012
50/2	0.028
50/3	0.024
50/12	0.024
50/23	0.020
50/22	0.032
50/19	0.032
50/13	0.044
50/4	0.020
50/20	0.036
50/14	0.020
50/11	0.028
50/5	0.020
50/7	0.125
48/1	0.303
48/2	0.164
47	0.073
46	0.258
45	0.242
44/1	0.093
40	0.198

(1)	(2)
39	0.162
84/3	0.036
84/4	0.166
84/1	0.109
84/2	0.194
84/5	0.124
89	0.208
90/1	0.006
90/3	0.016
90/4	0.008
90/2	0.032
88/6	0.036
88/7	0.097
88/8	0.105
88/9	0.040
88/10	0.113
88/11	0.116
88/12	0.088
104/2	0.016
104/1	0.081
105/11	0.101
105/20	0.133
105/10	0.089
105/7	0.069
योग 49	4.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत पवनतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 16 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-चनाटोला, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.243
35/1	0.040
44/5	0.283
49/2	0.008
49/3	0.097
49/4	0.116
60	0.024
59/1 ग	0.067
59/1 ङ	0.073
59/1 झ	0.062
59/1 ज	0.061
58/2	0.045
59/1 ङ	0.008
59/1 ञ	0.073
59/1 त	0.075
59/1 ण	0.037
59/2	0.004
58/6	0.121
58/1	0.085
58/5	0.025
58/5	0.008
59/9	0.070
59/10	0.012
71/1	0.010
73/2	0.008
73/1	0.235
43	0.050
योग	1.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 18 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.274 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13/3	0.360
	13/8	0.360
	13/28	0.040
	13/5	0.048
	13/13	0.060
	17/2	0.168
	17/1	0.168
	18/5	0.396
	18/4	0.490
	20/4	0.140
	20/7	0.144
	20/3	0.168
	20/8	0.192
	19/30	0.108
	19/31	0.180
	19/34	0.048
	19/32	0.108
	19/33	0.020
	19/35	0.076
योग	19	3.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत सरोधी से नवागांव पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 20 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	703/3	0.092
योग	1	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-घोरापाठ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-96.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.26
3/1	0.03
3/2	0.49
3/3	0.23
5	0.15
6	0.40
8	0.25
9	0.08
10/1	0.62
10/2	0.52
10/3	0.20
10/4	0.20
11/1	0.30
11/2	0.10
12	0.24
13/1	0.81
13/2	0.18
14	0.26
19/1	0.54
19/2, 19/4	0.90
19/3	0.30
20	0.10
21/1	0.40
21/2	0.40
22/1	0.11
41/16	0.10
55/3	0.12
56/1	0.38
58	0.27
55/5	0.40
56/2	0.35
56/3	0.55
56/4	0.52
57	0.08
59/1	0.30
59/2	0.49
63	1.85
64/6	0.10
68/2	0.56
69/2	0.56
64/7	0.10
64/8	0.10
64/9	0.10
65	0.16
66	0.50
67/1	0.37
67/2 क	1.01
67/2 ख	0.25
67/3	0.50
67/4	0.30
67/5	0.48
67/6	0.30
67/7	0.20
69/1	0.50
69/3	0.50
70/1	0.27
71/1	0.05
70/2	0.27
71/2	0.05
72	0.36
73	0.54
76	0.14
74	0.06
75	0.03
78/1	1.39
78/2	2.20
78/3 क	0.12
78/3 ख	0.13
78/4	0.18
78/5	1.91
78/6	0.25
78/7	0.25
81/1	0.77
81/2	0.21
81/3	0.50
81/4	0.69
83	0.04
84/1, 85/1, 86/2 क	0.49
84/2, 85/2, 86/2 ख	0.21
86/1	0.15
87/1 क	0.05
87/1 ख	0.59

(1)	(2)
87/2	0.77
87/3	1.50
87/4	0.74
87/5	0.21
87/6	0.21
87/7	0.21
89/1 क, 92/2 क	0.63
89/1 ख, 92/2 ख	0.62
89/1 ग, 92/2 ग	0.62
89/3 क	0.67
89/3 ख	0.55
89/4	0.10
91/1	0.02
91/2 क	0.21
91/2 ख	0.21
91/2 ग	0.21
92/1 क	0.32
92/1 ख	0.31
92/1 ग	0.31
92/3 क	0.10
92/3 ख	0.10
92/3 ग	0.10
94	0.70
95	0.68
97 1	1.60
103/1	1.04
97/2	0.01
97/3 क	0.09
97/3 ख	0.10
97/3 ग	0.09
97/4 क	0.005
97/4 ख	0.01
97/4 ग	0.005
97/5	0.54
97/6	0.50
97/7	0.33
99/1	0.38
99/2	0.18
99/3	0.05
99/4	0.05
101	0.90
103/2	0.60
104	0.03
105	0.22
107/1	0.24
107/2	0.34
107/3	0.44
108/1	0.95
108/2	0.20
109	0.42
111	0.16
114/1	0.25
114/2	0.04
114/3	0.09
115/1	0.05
115/2	0.15
116	0.22
117/1	0.60
117/2 क	0.40
117/2 ख	0.20
117/3	1.08
118	0.39
119	0.90
121/2	0.20
120/1	0.20
120/2	0.20
121/1, 123/1	0.94
121/3, 123/2	0.60
122	0.88
124	0.44
125	0.50
126	0.23
127/1	0.37
127/2	0.85
130/1	0.51
130/2	0.76
130/3	0.25
131	0.44
132/2	0.06
133	0.02
134	0.08
136	1.15
137	0.18
138	0.04
140/1	1.50
140/2	0.64
142/1	0.21
142/2	0.88
142/3	0.23
142/4	0.62
144	0.47
149/1	0.75
149/2	0.40
149/3	0.20

(1)	(2)
150	0.14
152	0.68
158	0.48
160	0.20
161/1	0.22
161/2	0.23
162/1	0.88
162/2	0.22
164	0.46
167/1	0.25
167/2	0.25
175/3	0.50
[illegible]	0.03
[illegible]8/1	0.22
168/2	0.04
169	0.03
170/1	0.35
170/2	0.30
171/2	0.12
172	0.31
173	0.48
174	0.32
175/1	0.98
176/1	1.04
176/2	0.60
179	0.39
180/2	0.07
182	0.06
183	0.16
184	0.38
187/2	1.00
188	0.24
189/2	0.80
189/1	0.50
189/3	0.06
189/4	0.53
191	0.20
189/5	0.10
189/6	0.50
190	0.09
192/1	0.58
192/2	0.70
193/2, 194/2, 195/2	0.90
204/3	0.25
205/1	0.88
205/2	0.09
205/3	0.50
205/4	0.20
205/5	0.09
205/6	0.09
205/7	0.11
205/8	0.11
207/1	1.00
207/2	0.32
207/3	0.24
207/4	0.40
207/5	0.89
207/6	0.33
208/1	0.86
208/2	1.01
208/3	0.14
212/2	0.02
212/3	0.09
218/1	0.14
219/1	1.00
योग 218	96.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा द्वारा राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-धनरास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
143/1 क	0.40
143/1 ख	0.40
143/3	0.40
143/4 क	0.50
146/1	0.27
143/4 ख	0.30
143/4 ग	0.20
146/2	0.15
143/4 घ, 146/3	0.40
143/5	0.34
145	0.02
147/1	0.50
147/2	0.20
148	0.32
174/1	0.80
174/2	0.39
175	0.07
174/3	0.42
174/4	0.15
177	0.14
179/5	0.64
179/6	0.06
179/7	0.10
180	0.54
182	0.04
183	0.04
184	0.17
185/1	0.49
188/1	0.30
188/2	0.61
190	0.10
191/4	0.30
191/1	0.36
191/2	0.19
191/3	0.31
191/5	0.32
191/6	0.47
191/7	0.50
191/8	0.55
191/9	0.07
193/1	0.08
194	0.17
199/2	1.20
199/3	0.10
योग 40	14.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा द्वारा राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.